पी-**13013/95/2023-**यूडीआईडी/आईटी/सांख्यिकी**(**पार्ट**1)**

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

दिनांक: 20 नवंबर, 2025

मानक संचालन प्रक्रिया : आवेदक द्वारा यूडीआईडी पोर्टल का उपयोग करके आवेदन वापस लेने हेतु प्रक्रिया।

1. आवेदक यूडीआईडी पोर्टल पर लॉगिन करेगा। यथा लागू नीचे दिए गए विकल्पों में से कोई एक विकल्प दिखेगा:

    क. आपका आवेदन जमा हो गया है और सीएमओ कार्यालय से सत्यापन प्रतीक्षित है। क्या आप इस चरण पर अपना आवेदन वापस लेना चाहते हैं?

    ख. आपका आवेदन अधूरा पाया गया है। क्या आप इस चरण पर अपना आवेदन वापस लेना चाहते हैं?

    ग. आपका आवेदन सीएमओ से सत्यापित हो गया है और मूल्यांकन के लिए तैयार है। क्या आप इस चरण पर अपना आवेदन वापस लेना चाहते हैं?

    घ. चिकित्सा बोर्ड की सिफारिशें अपडेट कर दी गई हैं। क्या आप इस चरण पर अपना आवेदन वापस लेना चाहते हैं?

    ङ. आपको चिकित्सा बोर्ड नामित कर दिया गया है। क्या आप इस चरण पर अपना आवेदन वापस लेना चाहते हैं?

    च. आपके मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ नामित कर दिया गया है। क्या आप इस चरण पर अपना आवेदन वापस लेना चाहते हैं?

2. यदि पैरा 1 में दिए गए किसी भी विकल्प का जवाब 'हाँ' है, तो 'OK' बटन के साथ यह मैसेज दिखेगा:

    'यदि आप इस चरण पर अपना आवेदन वापस लेते हैं, तो आप अगले 180 दिनों तक पुन: आवेदन नहीं कर सकेंगे।'

3. यदि आवेदक 'Ok' बटन पर क्लिक करता है, तो उससे UDID आवेदन वापस लेने का कारण (अधिकतम 200 शब्दों में) बताने के लिए कहा जाएगा और उसके बाद उसका आवेदन UDID डेटाबेस से डिलीट कर दिया जाएगा।

(मनीष कुमार मिश्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार